आमतौर पर मावठ को प्रदेश में फसलों के लिए वरदान माना जाता है। लेकिन शनिवार और रविवार को मावठ की बारिश इतनी ज्यादा हो गयी कि, किसानों की खुशियाँ गम में बदल गईं। ज्यादा बारिश, हवा और सर्दी के कारण जयपुर के सीकर रोड पर खेतों में सरसों, टमाटर व जौं की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बारिश के साथ चली तेज हवा के कारण एक किसान के खेत की सरसों की पूरी फसल जमीन पर लेट गई। किसानों ने बारिश खुलने के बाद सोमवार सुबह जब अपने खेतों का मुआयना किया तो बर्बाद फसल को देखकर उनके होश उड़ गए।
(फोटो दिनेश भारद्वाज)

'कितने दिन तक विधानसभा अध्यक्ष विधायकों के इस्तीफे के मामले में अनिर्णय की स्थिति में लटका कर रख सकते हैं?'

हाई कोर्ट ने यह सवाल विधानसभाध्यक्ष के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से सीधे पूछा

- **मनु सिंघवी ने विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पैरवी करते हुए कहा था कि, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इस्तीफे पहले ही अस्वीकार कर दिये गए हैं, इसलिए अब यह जनहित याचिका अर्थहीन हो गई है।**
- **जैसा कि विदित ही है, छह विधायकों ने स्वयं के इस्तीफे साथ-साथ 75 अन्य विधायकों के इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष को दिये थे। अतः सवाल यह उठाया गया है कि, क्या इन छह विधायकों को शेष 75 विधायकों की तरफ से ''लैटर ऑफ अथॉरिटी'' (अधिकार पत्र) दिया गया था, उनकी ओर से इस्तीफा देने के लिये!**

जयपुर, 30 जनवरी (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट में सोमवार को उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ द्वारा प्रस्तुत जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस याचिका में राठौड़ ने 25 सितंबर 2022 को विभिन्न विधायकों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को सौंपे गए इस्तीफ़ों पर निर्णय लेने के निर्देश देने की प्रार्थना की थी। जैसा कि विदित है कि इस मामले में कोर्ट ने पूछा था कि विधानसभाध्यक्ष ने 81 विधायकों के इस्तीफे अस्वीकार करने से पूर्व क्या प्रक्रिया अपनाई थी। विधानसभाध्यक्ष की ओर से विधानसभा सचिव ने जवाब प्रस्तुत किया।

लगभग 11:30 बजे जब मामला सुनवाई के लिए लगा तो स्पीकर की ओर से यह निवेदन किया गया कि इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी करना चाहते हैं, अतः कोर्ट ने मामले की सुनवाई 2:30 बजे के लिए नियत की। ढाई बजे सुनवाई शुरू हुई तो राठौड़ ने कोर्ट को कहा कि कोर्ट द्वारा 20 जनवरी 23 को दिए गए आदेशों की अनुपालना में विधानसभा सचिव की ओर से 90 पेज का जवाब आज सुबह उन्हें दिया गया है और साथ ही उनके मिसलेनियस प्रार्थना पत्र पर 22 पेज का जवाब अलग से दिया गया है। इसमें विधानसभा सचिव की ओर से कई तथ्य पेश किए गए हैं, जिनमें से एक यह है कि 81 विधायकों ने स्पीकर को प्रार्थना प्रस्तुत करके यह कहा है कि उनके द्वारा पूर्व में दिए गए त्यागपत्र स्वैच्छिक नहीं थे।

विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि याचिका में मात्र यह प्रार्थना की गई है कि अध्यक्ष को इस्तीफों के संबंध में आदेश पारित करने के निर्देश दिए जाएं, और याचिका प्रस्तुत करने से पूर्व अध्यक्ष द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है। इस पर न्यायालय ने उन्हें टोकते हुए कहा कि आदेश जारी करने से पूर्व ही राजेन्द्र राठौड़ द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है। राजेंद्र राठौड़ के लिए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राठौड़ का उद्देश्य इस विवाद को ज्वलंत रखना है। अध्यक्ष द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है अतः याचिका सुने जाने योग्य नहीं रही है। इस पर अदालत ने पलटकर टिप्पणी की कि उसे पता है कि विधानसभाध्यक्ष ने अपना आदेश दे दिया है ''लेकिन मूल सवाल यह है कि विधानसभाध्यक्ष जैसी संवैधानिक अथॉरिटी ऐसे मामलों में कितने समय तक निर्णय को लंबित रख सकती है।''

विधानसभा सचिव की ओर से प्रस्तुत याचिका के जवाब में कई खुलासे किए गए हैं, जैसे यह बताया गया है कि वास्तव में 91 नहीं बल्कि कुल 81 विधायकों ने ही इस्तीफ़े दिए थे, जिनमें से 24 विधायकों ने 30 दिसंबर 2022 को, 39 ने 31 दिसंबर 2022 को व शेष 17 ने 1 जनवरी 2023 को अपने इस्तीफा वापस ले लिया। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने 3 जनवरी 2023 को और वाजिब अली ने 10 जनवरी को इस्तीफा वापस लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री रघु शर्मा का नाम इस्तीफा देने वाले 81 विधायकों की सूची में नहीं है। इस्तीफ़े वापस ले लिए जाने के कारण 13 जनवरी 2023 को स्पीकर ने इस्तीफे खारिज कर दिए। विधानसभा के प्रक्रिया नियमों का हवाला देते हुए जवाब में कहा गया है कि परिस्थितियों में यदि आवश्यक हो तो स्पीकर द्वारा निर्णय लेने में कुछ महीने लिए जा सकते हैं।

विधानसभा सचिव के जवाब में कहा गया है कि विधानसभाध्यक्ष को पहले दिन से ही आभास हो गया था कि विधायकों द्वारा प्रस्तुत इस्तीफे स्वेच्छा से नहीं दिये गये हैं क्योंकि लगभग सभी 75 इस्तीफे उन्हें छह विधायकों ने दिये और पांच विधायकों के इस्तीफों की फोटो कॉपी दी गई। परंतु हैरानी की बात है कि विधानसभा सचिव ने अपने जवाब में यह स्पष्ट नहीं किया है कि विधानसभाध्यक्ष द्वारा इस आभास, कि यह इस्तीफे स्वेच्छा से नहीं दिये गये हैं, की पुष्टि करने के लिये तीन महीने के भीतर क्या किया गया और क्या कोई जांच की गई? इस मामले की जानकारी रखने वाले अधिवक्ता हेमंत नाहटा ने बताया कि इस मामले की पिछली सुनवाई में अदालत ने विधानसभाध्यक्ष से विधायकों द्वारा इस्तीफ़े वापस लेने के लिये दिये गये पत्र की प्रति उपलब्ध कराने को कहा था, परंतु विधानसभा सचिव ने अपने जवाब के साथ यह दस्तावेज संलग्न नहीं किये हैं।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जब विधानसभाध्यक्ष को केवल छह विधायकों ने 81 विधायकों के इस्तीफे दिये थे, तब इन छह विधायकों को बाकी 75 विधायकों ने अपना प्रतिनिधि घोषित करने के लिये कोई अधिकार पत्र दिया था या नहीं? विधानसभा सचिव द्वारा प्रस्तुत जवाब इस पर कोई रोशनी नहीं डालता है। हेमंत नाहटा का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष को केवल इन छह विधायकों से ही पूछताछ करनी चाहिये थी, इन इस्तीफों की प्रामाणिकता जांचने के लिये, परंतु विधानसभा सचिव द्वारा प्रस्तुत जवाब में इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं मिली है।

सुनवाई के बाद राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि उनके द्वारा जनहित याचिका प्रस्तुत करने से संवैधानिक प्रावधानों के साथ योजनाबद्ध तरीक़े से किया गया खिलवाड़, कोर्ट में सबके सामने आ गया है। उन्होंने बताया कि 81 सदस्यों की सूची को उन्होंने ऐसे जनप्रतिनिधियों की सूची होना बताया जिन्होंने पहले तो अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के विश्वास को ठुकरा कर निजी स्वार्थवश सार्वजनिक रूप से अपने अपने इस्तीफ़े दे दिए, और अब तीन महीने बाद पूरी तरह से पलटते हुए कह दिया कि इस्तीफ़े स्वेच्छा से नहीं दिए गए थे। जैसा कि विदित है कि 25 सितम्बर को कई मीडिया चैनलों में देखा गया था कि कई कांग्रेस तथा निर्दलीय विधायक शांति धारीवाल के निवास पर इकट्ठा हुए थे और फिर बस के जरिये विधानसभाध्यक्ष के निवास पर अपना इस्तीफा देने के लिये रवाना हुए थे। तब प्रताप सिंह खाचरियावास तथा अन्य कांग्रेस विधायकों ने मीडिया को बयान भी दिये थे कि शांति धारीवाल के निवास पर 92 विधायक इकट्ठा हुए थे।

राठौड़ ने सुनवाई के बाद कहा कि यह एक अकल्पनीय परिस्थिति है कि 81 विधायकों से जबरन इस्तीफ़े लिये गए। अगर प्रदेश में 81 विधायकों के साथ इस प्रकार से जबरदस्ती की जा सकती है तो राज्य में कानून व्यवस्था की दयनीय स्थिति का इससे बुरा उदाहरण नहीं मिल सकता। 81 विधायकों के इस्तीफ़े देने वाले छह माननीय विधायकों को अब यह बताना होगा कि उन्होंने 81 विधायकों की इच्छाशक्ति और मानसिकता को जबरन अपने वश में लेने के लिए आख़िर ऐसे कौन से हथकंडे अपनाए, जिस के वशीभूत होकर या उससे भयभीत होकर 81 विधायकों ने अपनी इच्छा के विरुद्ध उन्हें इस्तीफ़े सौंप दिए जबकि जनता ने अपनी आँखों से टेलीविजन पर लाइव देखा था कि 25 सितम्बर 2022 को विधायकों को बसों में भर भर कर घर ले जाया गया था और कतारबद्ध होकर इस्तीफा सौंपने वाले विधायकों के फोटो अखबारों में प्रकाशित हुए थे, जिनके लिए अब जवाब में यह कहा गया है कि मीडिया रिपोर्ट्स साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।

वहीं विधायकों के इस्तीफा प्रकरण में राजेन्द्र राठौड़ ने अपना प्रति उत्तर देने के लिये समय मांगा है, जिसके लिये अदालत ने 13 फरवरी को इसकी अगली तारीख तय की है।

विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक में जातगत जनगणना की मांग भी जोरशोर से उठाई

बैठक में विपक्ष ने सदन की कार्यवाही के दिनों में कटौती के मुद्दे पर भी सरकार के समक्ष विरोध जताया

- **बैठक में भाग लेने के बाद वाईएसआर कांग्रेस के संसदीय दल के नेता वी. विजय साई रेड्डी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उन्होंने सरकार से संसद की कार्यवाही के दिनों में कमी आने पर चिंता व्यक्त की तथा महिलाओं के लिए आरक्षण, ब्लू इकॉनोमी, पिछड़े वर्ग के कल्याण के मुद्दे उठाये।**

नयी दिल्ली, 30 जनवरी (वार्ता)। संसद के बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को यहां सर्व दलीय बैठक में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने देश में पिछड़े वर्ग की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए जाति आधारित आर्थिक जनगणना कराये जाने की मांग की।

संसद के पुस्तकालय भवन में आयोजित सर्वदलीय बैठक में वाईएसआर कांग्रेस की इस मांग को तृणमूल कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, बीजू जनता दल तथा कुछ अन्य पार्टियों का भी समर्थन मिला।

बैठक में भाग लेने के बाद वाईएसआर कांग्रेस के संसदीय दल के नेता वी. विजय साई रेड्डी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उन्होंने सरकार से संसद की कार्यवाही के दिनों में कमी आने पर चिंता व्यक्त की तथा महिलाओं के लिए आरक्षण, ब्लू इकॉनोमी, पिछड़े वर्ग के कल्याण के मुद्दे उठाये।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देश में करीब 50 प्रतिशत आबादी पिछड़े वर्ग की है। पिछड़े वर्ग की जाति आधारित जनगणना की मांग पुरानी है।

आज उन्होंने मांग की है कि पिछड़ी जातियों की आर्थिक स्थिति विशेष रूप से शैक्षिणक, स्वास्थ्य एवं रोजगार की स्थिति का आकलन किया जाना चाहिए, इसलिए जनगणना में जाति आधारित आर्थिक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। इससे पिछड़े वर्ग की वास्तविक स्थिति का पता चल पाएगा।

'50 केन्द्रीय शिक्षण संस्थान बगैर अध्यक्ष के'

- **मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अगर यह स्थिति है तो भारत सरकार विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थानों की बात किस मुँह से करती है।**

नयी दिल्ली, 30 जनवरी (वार्ता)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश के 50 महत्वपूर्ण संस्थानों में अध्यक्ष के पद खाली होने को लेकर मोदी सरकार पर आज कड़ा हमला किया और कहा कि बात विश्व स्तर की शिक्षा व्यवस्था कायम करने की बात करते हैं लेकिन बुनियादी बात पर ध्यान नहीं देते हैं।

खड़गे ने ट्वीट किया राष्ट्रीय महत्व के 50 संस्थान बिना अध्यक्ष के हैं। आपकी सरकार के सत्ता में आने के साल से 10 पद खाली हैं।

'मुझे चेताया गया था...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राजनीति, जो बाँटती है, तोड़ती है, देश को प्रभावित करती है। इस प्रकार, एक प्रकार से यह एक आध्यात्मिक यात्रा थी।''

इससे पहले दिन में राहुल ने यात्रा के शिविर स्थल चश्मेशाही पर तिरंगा फहराया। उन्होंने 4000 किलोमीटर लम्बी अपनी पदयात्रा का समापन श्रीनगर में रविवार को किया। यात्रा में 5 महीनों में 12 राज्यों में गए। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के संगठन महासचिव वेणुगोपाल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा दूसरा चरण अवश्य होगा। अभी हमें यह तय करना है कि यह कैसे होगा। अंतिम निर्णय नहीं हुआ है पर दूसरा चरण तो होगा जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे।

पांच माह तक चली यह पदयात्रा दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरु हुई और जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में इसका समापन हुआ।

पदयात्रा में देश भर में लोगों की भारी भीड़ जुटी और कई नामचीन हस्तियों ने भी इसका समर्थन किया।

राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि यात्रा का उद्देश्य संकटग्रस्त कांग्रेस पार्टी के आत्मविश्वास को पुनर्जीवित करना भी था क्योंकि वर्ष 2014 में नरेन्द्र मोदी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद इसकी लोकप्रियता तेजी से गिर रही थी।

रविवार को श्रीनगर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रैंस में कांग्रेस सांसद राहुल ने कहा कि उन्हें देश भर में भारी समर्थन प्राप्त हुआ।

उन्होंने कहा कि ''यात्रा का उद्देश्य यह भी है कि इस देश के लोग देश की सच्ची आवाज सुन सकें।''

उन्होंने आगे कहा कि ''हमने इस यात्रा के दौरान भारत के लोगों के जीवट और शक्ति को देखा। हमें देश के युवा बेरोजगारों और किसानों के मुद्दे भी सुनने को मिले।''

राहुल गांधी ने अमित शाह और भाजपा के अन्य नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि यदि इस केन्द्र शासित प्रदेश में स्थिति इतनी ही अच्छी है तो वे जम्मू से लाल चौक तक पैदल चलकर बताएं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 135 दिन में 4 हजार 84 किलोमीटर की पदयात्रा कर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाय.एस. जगन मोहन रेड्डी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने वर्ष 2017 से 2019 के बीच डेढ़ साल में भी इतनी दूरी तय नहीं की थी।

वाय.एस.आर. कांग्रेस पार्टी के जगन मोहन रेड्डी 3 हजार 648 किमी. पैदल चले थे और उनकी यात्रा के बाद हुए विधानसभा चुनावों में उन्हें अभूतपूर्व बहुमत मिला था। राहुल गांधी की पदयात्रा से पहले जगन मोहन की यात्रा को ही देश के किसी राजनेता की सबसे लम्बी दूरी की यात्रा माना जाता था।

जगन रेड्डी ने ''प्रजा संकल्प यात्रा'' अपने स्वर्गीय पिता राजशेखर रेड्डी के पैतृक गांव इदुपलायापाया से 6 नवम्बर 2017 को शुरु की थी। यह गांव वाय.एस.आर. कडपा जिले में हैं। इस यात्रा का समापन ओडिशा की सीमा के निकट श्रीकाकुलम जिले के इच्छापुरम में 9 जनवरी 2019 को हुआ था, हालांकि यात्रा के बीच-बीच में ब्रेक लिये गये थे। राहुल गांधी ने श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा कैम्प स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उन्होंने अपनी 136 दिन लम्बी पैदल यात्रा के लिए ''भारत यात्रियों'' को उनके प्रेम, स्नेह और समर्थन को लेकर धन्यवाद दिया। उनकी पदयात्रा पिछले वर्ष 7 सितम्बर को कन्याकुमारी से शुरु हुई थी।

ब्रिटेन में ''बी.बी.सी चलो'' अभियान चलाया भारतीय मूल के लोगों ने

- **भारतीयों के संगठनों ने बी.बी.सी के पांच दफ्तरों के घेर लिया, सड़कों पर इन लोगों का भारी हुजूम नज़र आया**
- **भारतीय संगठनों ने बी.बी.सी. के खिलाफ एकजुट होकर प्रधानमंत्री मोदी और भारत की छवि बिगाड़ने की साजिश रचने के लिए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।**

नई दिल्ली/लंदन, 30 जनवरी। गुजरात दंगों पर प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका को लेकर बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमैन्टरी के विरोध में ब्रिटेन के सभी प्रमुख शहरों में तिरंगे के साथ भारतीयों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इससे लंदन से लेकर बीबीसी के दफ्तर तक भूचाल आ गया।

भारत की छवि खराब करने और प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए भारतीयों ने बीबीसी का दफ्तर भी घेर लिया। इससे बीबीसी के कार्याधिकारी भी दहशत में आ गए। भारतीयों ने देर तक बीबीसी मुख्यालय को घेरे रखा और उसके खिलाफ गगनभेदी नारे लगाए। ब्रिटेन में लंदन से लेकर मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ग्लासगो और न्यूकैसल में हिंदुस्तानियों का विशाल हुजूम देखकर ब्रिटिश हुकूमत भी सकते में आ गई। भारतीयों ने उक्त सभी शहरों के बीबीसी स्टूडियो का घेराव करने के लिए 'चलो बीबीसी' अभियान चलाया, जो जबरदस्त तरीके से सफल रहा। उक्त शहरों के सभी बीबीसी स्टूडियो पर भारतीयों के विरोध प्रदर्शन को देखकर बीबीसी के हाथ-पैर फूल गए। भारत सरकार पहले ही अपने देश में इस डॉक्यूमैन्टरी पर बैन लगा चुकी है।

ब्रिटेन की सड़कों पर उतरकर इंडियन डायस्पोरा यूके' (आईडीयूके), 'फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इंटरनेशनल' (एफआईएसआई) यूके, 'इनसाइट यूके' और 'हिंदू फोरम ऑफ ब्रिटेन (एचएफबी) जैसे संगठनों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने 'बायकॉट बीबीसी', 'ब्रिटिश बायस कॉर्पोरेशन' और 'स्टॉप द हिंदूफोबिक नैरेटिव' (हिंदुओं के खिलाफ नफरत पैदा करने वाले आख्यान को रोको), 'बीबीसी शर्म करो' और 'भारत माता की जय' जैसे नारे लिखी तख्तियां लहराईं। एफआईएसआई यूके के जयु शाह ने कहा, ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर आधारित वृत्तिचत्र अत्यंत पक्षपातपूर्ण है। भारतीय न्यायपालिका ने मोदी को पूरी तरह बेकसूर बताया है। इसके बावजूद बीबीसी ने न्यायाधीश और न्यायपालिका बनने का फैसला किया।

बीबीसी ने भले ही गुजरात दंगों पर प्रधानमंत्री की छवि खराब करने का प्रयास किया हो, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी इस डॉक्यूमैन्टरी को खारिज कर चुके हैं। जयु शाह ने कहा, ''बीबीसी की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जांच होनी चाहिए और सार्वजनिक प्रसारक के रूप में अपने कर्तव्य में विफल रहने पर बीबीसी के निदेशक मंडल की जांच की जानी चाहिए।'' एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा कि उनकी मां शारीरिक अक्षमता के कारण व्हीलचेयर की मदद लेती हैं और इसके बावजूद वह यहां आई हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि बीबीसी द्वारा फैलाए जा रहे ''झूठे और भारत विरोधी दुष्प्रचार'' के खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता है।

ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (बीबीसी) का वृत्तिचत्र 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' दो भाग में है, जिसमें दावा किया गया है कि यह 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित कुछ पहलुओं की पड़ताल पर आधारित है। साल 2002 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे। विदेश मंत्रालय ने वृत्तिचत्र को ''दुष्प्रचार का हिस्सा'' बताते हुए खारिज कर दिया था और कहा था कि इसमें निष्पक्षता का अभाव है तथा यह एक औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है।

'ऐसा फोन...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कश्मीरी लोग सी.आर.पी.एफ. के जवान, सेना के जवान तथा उनके परिजन ही समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह तथा डोवाल और आर.एस.एस. के लोग इस प्रकार के फोन कॉल्स का दर्द नहीं समझ सकते।

राहुल ने कहा कि ऐसा ही फोन कॉल 21 मई को उन लोगों के परिजनों के पास गया था, जो पुलवामा हमले में मारे गये थे। उन्होंने कहा, ''हजारों कश्मीरी मित्रों को ऐसे कॉल मिलते हैं, हमारे सैनिकों के परिवारों को ऐसे फोन कॉल मिलते हैं। ऐसे फोन कॉल से मन को कितना आघात पहुँचता है, इस बात को मैं और मेरी बहिन समझते हैं। जब यहाँ कश्मीर में लोग मारे जाते हैं, उस समय क्या होता है।

भाजपा और आर.एस.एस. द्वारा उन पर हमले किये जाने, उन्हें अपशब्द कहे जाने पर राहुल ने कहा कि मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ क्योंकि ये लोग जो दबाव मुझ पर बनाते हैं, उससे मैं (राहुल) कुछ न कुछ सीखता ही हूँ।'' उन्होंने कहा वे भारत की विचारधारा पर हमले कर रहे हैं, जो इस देश की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस लम्बी पदयात्रा में उनके साथ रहे, उन्होंने इस विचारधारा की रक्षा करने की कोशिश ही तो की है।

राहुल ने आगे कहा, ''हम जानते हैं कि हमने नफरत के बाजार में प्रेम की एक दुकान खोलने की कोशिश की है।'' हम लोगों को यह याद दिला रहे हैं कि भारत प्रेम, आदर और सौहार्द का देश है।'' उन्होंने कहा, यह यात्रा मैंने न तो स्वयं अपने लिये की है और न कांग्रेस के लिये, बल्कि भारत की जनता के लिये की है कि वे अपनी विचारधारा की नींव तक पहुँचें तथा द्वेष के सहारे नहीं, बल्कि प्रेम के साथ मिलकर उठ खड़े हो।

'कांग्रेस विधायकों ने स्वेच्छा से नहीं दिए थे इस्तीफे...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जिसमें प्रमुख सवाल यह होगा कि यदि सभी विधायकों ने स्वेच्छा से इस्तीफे नहीं दिए, तो फिर सभी ने किस के दबाव में इस्तीफे दिए और किसके दबाव में सभी विधायक बस में बैठकर एक साथ विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर गए। और यदि विधायकों ने स्वेच्छा से इस्तीफे नहीं दिए तो फिर इस्तीफा वापस लेने में 3 महीने से ज्यादा का समय कैसे लगा दिया। इन सवालों को लेकर एक बार फिर कांग्रेस के अंदर आरोप - प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो सकती है।

इधर सोमवार को राजस्थान उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान राजस्थान के कांग्रेस विधायकों की ओर से 25 सितंबर को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी के सरकारी आवास पर दिए गए स्तीफो के मामले में विधानसभा सचिव की ओर से पेश किए गए जवाब में कहा गया है कि विधायकों के इस्तीफे स्वैच्छिक नहीं थे। ऐसे में कानून की नजर में ये इस्तीफे कोई महत्व नहीं रखते हैं। इसलिए इन इस्तीफों को खारिज किया गया था।

विधानसभा सचिव की ओर से दिए गए इस जवाब के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्थल और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता राजेंद्र राठौड़ को जवाब पेश करने के लिए 13 फरवरी तक का समय दिया है। विधानसभा स्पीकर की ओर से अपने जवाब में कहा गया कि दिए गए सभी त्यागपत्रों में विधानसभा क्षेत्र का नाम और विभाजन संख्या के अलावा शेष तथ्य मशीनी अंदाज में एक समान लिखे गए थे। साथ ही विधायकों ने अपने त्यागपत्र अलग-अलग नहीं दिए थे और छह विधायकों ने ही पेश होकर सभी के त्यागपत्र सामूहिक रूप से पेश किए थे। जवाब में बताया गया कि गत 25 सितंबर को विधायक महेश जोशी, महेन्द्र चौधरी, संयम लोढ़ा, शांति धारीवाल और रफीक खां सहित विधायक रामलाल जाट ने स्वयं के साथ ही 81 विधायकों के त्यागपत्र सामूहिक रूप से स्पीकर के समक्ष प्रस्तुत किए थे। इन त्यागपत्रों में विधायक अमित चाचाण, गोपाल लाल मीणा, चेतन सिंह चौधरी, दानिश अबरार और सुरेश टांक के त्यागपत्रों की फोटो कॉपी पेश की गई थी। विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 173 (4) के तहत कोई सदस्य स्पीकर द्वारा इस्तीफा स्वीकार किए जाने से पहले अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। इसके अलावा विधायक का त्यागपत्र स्वीकार करने के बाद ही सदन में उसका स्थान रिक्त होता है। प्रकरण संविधान की 10वीं अनुसूची में नहीं होने के कारण कोर्ट इसमें दखल नहीं कर सकता है।

सुनवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि याचिका में गुहार की गई है कि स्पीकर को इस्तीफे पर फैसला करने के निर्देश दिए जाएं। अब क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफों पर फैसला कर चुके हैं तो इस याचिका को खारिज किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह याचिका जनहित का मुद्दा ना होकर राजनीति से प्रेरित है। इसलिए भी कोर्ट को याचिका खारिज करनी चाहिए।

ऐसे में अदालत ने कहा कि इस्तीफों पर निर्णय लेने के लिए कोई तय समय अवधि होनी चाहिए, तो सिंघवी ने कहा कि स्पीकर सदन का मास्टर होता है और प्रकरण 10वीं अनुसूची का भी नहीं है। वहीं याचिकाकर्ता राजेन्द्र राठौड़ की ओर से कहा गया कि उन्हें आज ही जवाब की कॉपी दी गई है, इसलिए उन्हें इसका अध्ययन करने और इस पर अपना जवाब पेश करने के लिए समय दिया जाए। इस पर अदालत अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई 13 फरवरी को तय की है।

'सन् 1962 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर भारत की पहुंच खत्म हो गई है।

जयराम ने एक बयान में कहा कि मई 2020 से ही मोदी सरकार ने लद्दाख में चीन के अतिक्रमण से निपटने के लिए जिस रणनीति का चयन किया है, उसे संक्षेप में डी.डी.एल.जे. यानी कि डिनाई, डिस्ट्रैक्ट, लाई और जस्टिफाई कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ''वास्तविकता यह है कि वर्ष 1962 और 2020 के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती है, सन् 1962 में भारत ने अपनी भूमि की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा था और वर्ष 2020 में भारत ने चीन के अतिक्रमण को चुपचाप स्वीकार कर लिया। उसके बाद दोनों देशों के सैनिक डिसअंगेज हुए जिसमें भारत के अपना हजारों वर्ग किलोमीटर भू-भाग गंवा दिया।''

उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर ने वर्ष 2017 में राहुल गांधी की चीन के राजदूत के साथ हुई मुलाकात को लेकर एक निम्न दर्जे की टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि विडम्बना यह है कि यह बात एक ऐसे व्यक्ति द्वारा कही जा रही है जो ओबामा के राष्ट्रपति कार्यकाल में अमेरिका में भारत का राजदूत था और संभव है कि वह उस समय विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन्स के प्रमुख नेताओं से भी मिला होगा। क्या विपक्ष के नेता उन देशों के राजनयिकों से मुलाकात करने के पात्र नहीं हैं, जो देश व्यापार, निवेश और सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।

''यह असाधारण है कि विदेश मंत्री जयशंकर ने कई अवसरों पर यह स्वीकार किया है कि उन्हें यह जानकारी नहीं है कि चीन लाइन-ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आक्रामक क्यों हो गया है।'' जयराम ने कहा कि जयशंकर ने यह बात इस तथ्य के बावजूद कही कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिंनपिंग की मुलाकातें होती रहती हैं और प्रधानमंत्री भी शेखी बघारते हैं कि राष्ट्रपति शी के साथ उनका एक विशेष संबंध है।

अडानी ग्रुप...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हुई सर्वदलीय मीटिंग में उपस्थित द्रमुक नेताओं ने शेयर मार्केट में अडाणी को हुये नुकसान का मुद्दा उठाया तथा माँग की कि बजट सत्र के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा कराई जाये। ज्ञातव्य है कि अमेरिका की शॉर्ट सैलर हिन्डनबर्ग रिसर्च में अडाणी ग्रुप पर स्टॉक में धाँधली तथा गड़बड़ी जैसे गलत कार्यों का आरोप लगाया है। अडाणी ग्रुप ने इन सारे आरोपों को ''झूठ के सिवाय और कुछ नहीं'' कहकर खारिज कर दिया है। अडाणी ग्रुप ने 400 से अधिक पृष्ठों के जवाब में इन आरोपों पर अपनी विस्तृत प्रतिक्रिया दी है, जिसे हिन्डनबर्ग रिसर्च ने यह कहकर खारिज कर दिया है कि यह जवाब ''टु द पॉइन्ट'' नहीं है। हिन्डनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि अडाणी ग्रुप ने उसकी रिपोर्ट में उठाये गये एक भी प्रश्न का सटीक जवाब नहीं दिया है। ज्ञातव्य है कि इस रिपोर्ट ने गत सप्ताह स्टॉक मार्केट में खलबली पैदा कर दी थी।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908